

घृणा अपराधों (हेट क्राइम) की रिपोर्ट कैसे करें

पुलिस से

चरण 1: अपने निकटतम थाना से संपर्क साधें और मौखिक या लिखित रूप से मामले को दर्ज कराएं।

चरण 2: यदि आप मौखिक रूप से रिपोर्ट करते हैं, तो ड्यूटी अधिकारी इसे सामान्यतः या दैनिक डायरी में अवश्य दर्ज करेगा।

चरण 3: आप अपने साथ लिखित शिकायत की दो प्रतियां जरूर लाएं। इनमें से एक ड्यूटी ऑफिसर को दी जाएगी, जबकि दूसरी कॉपी आपको प्राप्त सूचना के साथ वापस कर दी जाएगी।

चरण 4: पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद आप प्राथमिकी पर हस्ताक्षर जरूर करें।

चरण 5: दर्ज की गई सभी सूचनाओं की पुनः जांच करने के बाद ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करें।

चरण 6: आपको एफआईआर नंबर, तिथि और पुलिस थाने के नाम के साथ प्राथमिकी की एक प्रति दी जानी चाहिए।

जेईएम टीम के साथ

- जेईएम के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें: 9868952786, 7874012584, 9868926562, 9555711373, 9557639878
- जेईएम की वेबसाइट www.jem.org.in पर जाएं और वहां पर घटना का विवरण दर्ज करें
- अपने क्षेत्र के वकीलों/मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का प्रयास करें

अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना करे तो क्या करें?

यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना करती है तो आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेज सकते हैं। इसके बाद यह सूचना तदनुसार दर्ज की जाएगी और उसकी जांच-पड़ताल की जाएगी।

प्राथमिकी कहां दर्ज कराई जा सकती है?

कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत उसी क्षेत्र में दर्ज की जाए जहां अपराध घटित हुआ है। निकटतम थाने में शिकायत दर्ज करने से आपके समय की बचत होगी और विलंब से भी बचा जा सकता है।

प्राथमिकी कौन दर्ज करा सकता है?

प्राथमिकी किसी भी व्यक्ति द्वारा घटित अपराध का विवरण देकर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता केवल पीडित ही नहीं हो सकता है। यहां तक कि पुलिस भी किसी अपराध के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर सकती है।

जिन धाराओं के तहत घृणा अपराध की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298, 505(1) और 505(2) हैं।

नफرت انگیز जर्म की اطلاع कैसे दीं-

पुलिस के साथ

مرحله 1: قریبی پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں اور کہیں کئی زبانی یا تحریری طور پر رپورٹ کریں۔

مرحله 2: اگر آپ زبانی طور پر رپورٹ کرتے ہیں تو ڈیوٹی آفیسر کو اسے لکھ کر جنرل یا ڈپٹی ڈائری میں ریکارڈ کرنا چاہیے۔

مرحله 3: آپ کو تحریری شکایت کی دو کاپیاں ساتھ لانی ہوں گی۔ ایک ڈیوٹی آفیسر کو دیا جائے گا، جب کہ دوسرا آپ کو تسلیم کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔

مرحله 4: پولیس کی طرف سے معلومات درج کرنے کے بعد آپ کو ایف آئی آر پر دستخط کرنا ہوں گے۔

مرحله 5: تمام معلومات کو دوبارہ چیک کرنے کے بعد، رپورٹ پر دستخط کریں۔

مرحله 6: آپ کو FIR نمبر، تاریخ اور پولیس اسٹیشن کے نام کے ساتھ FIR کی ایک کاپی دی جانی چاہیے۔

جے ای ایم ٹیم کے ساتھ

- جے ای ایم کے ہیلپ لائن نمبر: 9868952786, 7874012584, 9868926562, 9555711373, 9557639878 پر کال کریں۔
- JEM ٹی وی ویب سائٹ www.jem.org.in پر جائیں اور واقعہ کی تفصیلات درج کریں۔
- اپنے علاقے میں وکلاء/انسانی حقوق کے کارکنوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔

اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرے تو کیا کرنا چاہیے؟

اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتی ہے، تو آپ متعلقہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو تحریری شکایت بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس معلومات کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کی چھان بین کی جائے گی۔

میں ایف آئی آر کہاں درج کروا سکتوں گا؟

کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروائی جاسکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شکایت اسی علاقے میں درج کی جائے جہاں جرم ہوا ہو۔ قریبی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے سے آپ کو وقت بچانے اور تاخیر سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ایف آئی آر کون درج کر سکتا ہے؟

ایف آئی آر کوئی بھی ارتکاب جرم کی تفصیلات بتا کر درج کر سکتا ہے۔ شکایت کا اختیار صرف متاثرہ تک محدود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پولیس بھی کسی جرم کے خلاف ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ جن سیکشنز کے تحت نफرت انگیز جرائم کے واقعات رپورٹ کیے جاسکتے ہیں وہ ہیں IPC کی 153A،